हिन्दुस्तान
पटना • सोमवार • 01 अक्टूबर 2018

निर्माण साइट पर लगाना होगा अपार्टमेंट का नक्शा

नई दिल्ली | श्याम सुमन

बिल्डर अब घर खरीदारों से जालसाजी नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि बिल्डरों को बनने वाली इमारत का उचित प्राधिकार से स्वीकृत पूरा नक्शा निर्माण साइट पर लगाना जरूरी होगा।

जस्टिस कुरियन जोसेफ व जस्टिस एस.के. कौल की पीठ ने कहा, हम देख रहे हैं कि बिल्डर इमारत का नक्शा नहीं दिखाते। दिखाते हैं तो पूरा नहीं और उसमें किए गए संशोधनों के बारे में नहीं बताते। क्योंकि वे नियमों का उल्लंघन करते है। कोर्ट ने यह आदेश मुंबई के एक बिल्डर की एसएलपी खारिज करते हुए दिया। इस मामले भूमि मालिक ने उसके प्लाटों पर बनाई जा रही बहुमंजिली इमारत के प्लान/ले आउट प्लान तथा उसकी विशेष स्थितियों की जानकारी मांगी थी। डेवलपर ने इसे देने से मना कर दिया। मालिक ने मुंबई प्राधिकरण में आरटीआई के तहत अर्जी लगाई। सूचना आयोग ने दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ बिल्डर हाईकोर्ट गया और वहां से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर पर 2.5 लाख का जुर्माना भी लगाया।

सुप्रीम कोर्ट

- निवेशक को पता होना चाहिए कि बन रही इमारत का प्लान मंजूर है
- कोर्ट ने बिल्डर पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया